संख्या-14/1/1/2010-का-प्रसको-2014

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक विभाग-प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ **लखनऊ : दिनांक : 03 सितम्बर, 2010**

विषय:-अतिथि वार्ताकारों को प्रदान किये जाने वाले मानदेय की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या-24/8/76-का-प्रसको/1999, दिनांक अगस्त 11, 1999 के द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) सेवारत् सरकारी सेवकों को प्रति सत्र रूपये-500.00 प्रदान किया जाय।

(2) सेवारत् सरकारी सेवकों को वर्ष में 30 दिन अथवा 60 सत्र, जो भी कम हों, के लिए ही वार्ता हेतु आमंत्रित किया जाय।

(3) सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को प्रति सत्र रूपये-1000.00 प्रदान किया जाय।

(4) वार्ता हेतु विशेषज्ञों तथा लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तियों को आमंत्रित करने पर उन्हें निम्नवत् मानदेय प्रदान करने पर इस शर्त के साथ विचार किया जाय कि संस्था के प्रमुख द्वारा उक्त मानदेय प्रदान किये जाने संबंधी कारणों को अभिलिखित किया जाये:-

(i) मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को रूपये-4000.00 प्रति वार्ता प्रदान किया जाय।

(ii) सेवानिवृत्त जनपद न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त सचिवों एवं समका स्तर के अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को रूपये-3000.00 प्रति वार्ता प्रदान किया जाय।

(iii) सेवारत् मुख्य सचिव तथा समकक्ष वेतनमान के अन्य प्रमुख सचिवों को रूपये-2500.00 प्रति वार्मा प्रदान किया जाय।

(iv) अन्य महत्वपूर्ण अतिथि वार्ताकारों को रूपये-2000.00 प्रति वार्ता प्रदान किया जाय।

2. शासनादेश संख्या-24/8/76-का-प्रसको/1999, दिनांक अगस्त 11, 1999 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध यथावत् रहेंगे।

3. उक्त आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय, संबंधित विभागों के आय-व्ययक की मदों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-417/दस-2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या-1/1/2010(1)-का-प्रसको-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
2. **वरिष्ठ लेखाधिकारी (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।**
3. **महानिदेशक/निदेशक/प्रधानाचार्य, समस्त प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।**
4. **प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।**
6. **समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
7. **वित्त (सामान्य) अनुभाग-1**
8. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2**

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्र यादव
विशेष कार्याधिकारी

http://Shasanadesh.nic.in